

समस्त पत्र-व्यवहार "कुलसचिव" को ही संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2529540,2527532



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

क्रमांक : परीक्षा / सामान्य / 2025 / 788

दिनांक : 3.0 DEC 2025

// आदेश //

प्रति,

प्राचार्य / प्राचार्या

समस्त देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय,
इन्दौर, धार, झाबुआ, खण्डवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी (म.प्र.)

विषय— देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा अपात्र (Not Eligible) छात्रों के परीक्षा फार्म अनुमोदन करने पर कार्यवाही हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में प्रायः यह पाया जा रहा है कि, महाविद्यालय के प्राचार्यों द्वारा ऐसे विद्यार्थियों के परीक्षा फार्म अनुमोदित किये जा रहे हैं जो कि संबंधित परीक्षाओं में बैठने हेतु अपात्र हैं। प्राचार्यों द्वारा उनकी पात्रता ठीक ढंग से जाँची नहीं जा रही है। इस वजह से अयोग्य परीक्षार्थी परीक्षा में बैठ जाते हैं, जिनका परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा जारी नहीं किया जाता है। इस वजह से विद्यार्थी सी.एम. हेल्पलाईन व आर.टी.आई में शिकायत करते हैं, जिससे विश्वविद्यालय की छवि खराब होती है। अतः विश्वविद्यालय स्थाई समिति एवं कार्यपरिषद के निर्णय अनुसार सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं एम.पी.ऑनलाइन् को यह सूचित किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की शिकायत आती है तो, इसके लिये विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा, संपूर्ण जवाबदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी।

परीक्षा नियंत्रक
दे.अ.वि.वि., इन्दौर